

राज्य सरकार
जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर
क्रमांक 573 संस्थापन-1/एमसीए/2021 दिनांक 10/3/21

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार परिपत्र क्रमांक प.2(216)डीएमई/2016 दिनांक 17.03.2017 की अनुपालना में निम्नलिखित चिकित्साक शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि तक अथवा स्थानान्तरण होने/त्यागपत्र प्रस्तुत करने/सेवानिवृत्त होने अथवा अन्य आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो के लिये विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है :-

क्र.सं.	विशिष्टता	विभागाध्यक्ष का नाम व पद	विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति अवधि
1.	पैथोलोजी	डॉ. कुसुम छेडा, वरिष्ठ आचार्य	17.03.2021 से 16.03.2023
2.	माइक्रोबायोलोजी	डॉ. गीता परिहार, वरिष्ठ आचार्य	17.03.2021 से 16.03.2023
3.	रेडियोथेरेपी	डॉ. यू.के. माथुर, वरिष्ठ आचार्य	17.03.2021 से 16.03.2023
4.	नेत्र रोग	डॉ. राकेश पोरवाल, वरिष्ठ आचार्य	17.03.2021 से 16.03.2023
5.	सर्जरी	डॉ. एम.एल. सोनी, वरिष्ठ आचार्य	17.03.2021 से 30.04.2022 (Till Retirement)
6.	निश्चेतन	डॉ. बीना पटोदी, वरिष्ठ आचार्य	17.03.2021 से 16.03.2023
7.	गायनिक	डॉ. दीपाली जैन, वरिष्ठ आचार्य	17.03.2021 से 16.03.2023
8.	टी.बी. एण्ड च्हेस्ट	डॉ. नीरज गुप्ता, वरिष्ठ आचार्य	17.03.2021 से 16.03.2023

उपरोक्त विभागाध्यक्ष निम्न गाईड लाईन के अनुसार कार्य करेंगे :-

Administration :-

- All HOD's will be responsible for general administration of departments including duties of staff, cleanness of wards, OPD's and other areas of department, maintenance of machines and equipments, supply of drugs, consumables etc.
- Distribution of faculty members, gazette staff in different units will be done after consultation with undersigned only.
- All PHOD's will send departmental requirements e.g. civil construction, Equipments/ Instruments etc. at the earliest to the undersigned as & when required.

Academic :-

- All UG and PG teaching programme should be formulated in accordance with MCI guidelines and as per direction from P & C office from time to time. PG and UG coordinators should be nominated according to academic work performance of faculty members and their name should be send to the undersigned.
- PHOD's should arrange for intra-departmental activites. Eg. Guest Lectures, PG Student training in other departments etc.
- All requirements pertaining for PG teaching and assessment should be performed as per MCI norms including maintaining the log books, theory writing, periodic evaluation (Theory and Practical), 5 days PG teaching etc.
- All PHOD's will conduct departmental meeting per month and send the minutes to office of the undersigned.
- All PHOD's are directed to fulfill the of the requirement of PG and UG seats including infrastructure, MCI declaration forms of faculty members (Soft and Hard copy).
- All PHOD's should ensure smooth conduction of duties of the faculty and residents in outdoor, indoor, regerral duties and emergency duties.
- For any other matter beside the above guidelines PHOD's are directed to consult P & C for the guidance.


नोट :- शेष विभागों में वर्तमान में कार्यरत विभागाध्यक्ष रोटेशन पूरा होने या अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे।

क्रमांक 12380-426 संस्थापन-1/एमसीए/2019

दिनांक 10/3/21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान उप शासन सचिव (ग्रुप-1), चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.), चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त प्रधानाचार्य, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, इस महाविद्यालय को।
6. अधीक्षक, ज.ला.ने./राजकीय महिला/राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, अजमेर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, इस महाविद्यालय को।
8. संबंधित चिकित्सकों को।
9. वित्तीय सलाहाकार, इस महाविद्यालय को।
10. प्रभारी अधिकारी, शैक्षणिक शाखा, इस महाविद्यालय को।
11. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर सैल इस महाविद्यालय को कॉलेज वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. निजी सहायक, प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, इस महाविद्यालय को।
13. रक्षित पत्रावली।


प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक